झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

<u>तृतीय तल योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची–834002</u>

संकल्प

विषयः– राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित करने के उद्देश्य से "झारखण्ड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना (Jharkhand State Higher Education Award Scheme)" लागू करने के संबंध में।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने एवं सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। इसके लिए सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं को लागू किया जा रहा है।

इसी क्रम में राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित करने के उद्देश्य से "झारखण्ड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना (Jharkhand State Higher Education Award Scheme)" लागू किया जाना है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित करने से उन्हें विशिष्ट पहचान मिलेगी, जिससे बेहतर कार्य करने हेतु उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु वह प्रेरित होंगे।

तदनुसार झारखण्ड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना (Jharkhand State Higher Education Award Scheme) लागू किया जा रहा है, जिसका स्वरूप निम्नवत् होगा–

2. झारखण्ड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना अंतर्गत कुल 09 (नौ) प्रकार के पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे–

2.1 झारखण्ड राज्य शोध रत्न : छात्र वर्ग (Jharkhand State Award for Excellence in Research- Student Category)

2.1.1 यह पुरस्कार शिक्षा के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रदान किया जायेगा–

- अर्थशास्त्र (Economics)
- सामाजिक विज्ञान (Social Sciences)
- अनुप्रयुक्त विज्ञान (Applied Sciences such as Engineering, Architecture etc.)
- Basic Sciences (Physics, Chemistry, Biology etc.)
- गणित एवं सांख्यिकी (Mathematics & Statistics)
- जनजातीय भाषाएं (Tribal Languages)
- गैर जनजातीय भाषाएं (Non Tribal Languages)

जनजातीय भाषाओं की सूची राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जनजातीय भाषाओं के अनुसार होगी।

2.1.2 अर्हता–

(i) अधिकतम उम्र – 40 वर्ष।

(ii) झारखण्ड राज्य में अवस्थित निम्न प्रकार के संस्थान में अध्ययनरत विद्यार्थी अथवा आवेदन की अंतिम तिथि से अधिकतम एक वर्ष पूर्व तक अध्ययनरत रहे विद्यार्थी–

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् या अन्य संबंधित प्राधिकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा पोलिटेकनिक संस्थान
- केन्द्र अथवा झारखण्ड राज्य सरकार के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित उच्च शैक्षणिक संस्थान

(iii) छात्र को पुरस्कार हेतु 03 अनुशंसा पत्र उपलब्ध कराना होगा, जिसमें से 02 अनुशंसा पत्र छात्र के संबंधित संस्थान के शिक्षकों के द्वारा तथा 01 अनुशंसा पत्र किसी अन्य संस्थान के शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

2.1.3 प्रत्येक विषय (शिक्षा के क्षेत्र) से Partner Institution के खोज समिति के द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान निर्धारित करते हुए अधिकतम 03 आवेदकों का चयन पुरस्कार हेतु किया जायेगा, जिस पर झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् से अनुमोदन प्राप्त करते हुए पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

2.1.4 पुरस्कार राशि–

प्रथम स्थान (स्वर्ण पदक) – रुपये 2,00,000/–
द्वितीय स्थान (रजत पदक) – रुपये 1,50,000/–
तृतीय स्थान (काँस्य पदक) – रुपये 1,00,000/–

इसके अतिरिक्त सभी पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण पत्र तथा स्मारिका (Souvenir) प्रदान किया जायेगा।

2.1.5 भागीदार संस्थान (Partner Institution) की सूची निम्नवत् है–

Subject	Partner Institution
Economics	National Institute of Public Finance and Policy, New Delhi
Social Sciences	School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi
Applied Sciences	Indian Institute of Technology (IIT), Bhubaneswar
Basic Sciences	Indian Institute of Science Education and Research, Pune
Mathematics and Statistics	Indian Statistical Institute, Kolkata
Languages (Tribal)	Dr Ramdayal Munda Tribal Welfare Research Institute, Ranchi
Languages (Non – Tribal)	School of Language, Literature and Culture Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

2.2 झारखण्ड राज्य शोध रत्न : शिक्षक वर्ग (Jharkhand State Award for Excellence in Research- Teacher Category)

2.2.1 यह पुरस्कार शिक्षा के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रदान किया जायेगा–

- अर्थशास्त्र (Economics)
- सामाजिक विज्ञान (Social Sciences)
- अनुप्रयुक्त विज्ञान (Applied Sciences such as Engineering, Architecture etc.)
- Basic Sciences (Physics, Chemistry, Biology etc.)
- गणित एवं सांख्यिकी (Mathematics & Statistics)
- जनजातीय भाषाएं (Tribal Languages)
- गैर जनजातीय भाषाएं (Non Tribal Languages)

जनजातीय भाषाओं की सूची राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जनजातीय भाषाओं के अनुसार होगी।

2.2.2 अर्हता–

(i) अधिकतम उम्र – 70 वर्ष।

(ii) झारखण्ड राज्य में अवस्थित निम्न प्रकार के संस्थान में कार्यरत शिक्षक अथवा आवेदन की अंतिम तिथि से अधिकतम एक वर्ष पूर्व तक कार्यरत रहे शिक्षक–

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् या अन्य संबंधित प्राधिकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा पोलिटेकनिक संस्थान
- केन्द्र अथवा झारखण्ड राज्य सरकार के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित उच्च शैक्षणिक संस्थान

(iii) शिक्षक के कार्यरत रहने की अवधि न्यूनतम 6 वर्ष होगी तथा इस अवधि की गणना झारखण्ड राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत रहने की अवधि को जोड़ कर की जायेगी।

2.2.3 प्रत्येक विषय (शिक्षा के क्षेत्र) से Partner Institution के खोज समिति के द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान निर्धारित करते हुए अधिकतम 03 आवेदकों का चयन पुरस्कार हेतु किया जायेगा, जिस पर झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् से अनुमोदन प्राप्त करते हुए पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

2.2.4 पुरस्कार राशि–

प्रथम स्थान (स्वर्ण पदक) – रुपये 2,00,000/–
द्वितीय स्थान (रजत पदक) – रुपये 1,50,000/–
तृतीय स्थान (काँस्य पदक) – रुपये 1,00,000/–

इसके अतिरिक्त सभी पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण पत्र तथा स्मारिका (Souvenir) प्रदान किया जायेगा।

2.2.5 भागीदार संस्थान (Partner Institution) की सूची निम्नवत् है–

Subject	Partner Institution
Economics	National Institute of Public Finance and Policy, New Delhi

Social Sciences	School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi
Applied Sciences	Indian Institute of Technology (IIT), Bhubaneswar
Basic Sciences	Indian Institute of Science Education and Research, Pune
Mathematics and Statistics	Indian Statistical Institute, Kolkata
Languages (Tribal)	Dr Ramdayal Munda Tribal Welfare Research Institute, Ranchi
Languages (Non – Tribal)	School of Language, Literature and Culture Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

2.3 उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समाज में असाधारण योगदान (For extraordinary contribution to Society in the field of Higher Education)

2.3.1 यह पुरस्कार झारखण्ड राज्य के अन्दर किसी संस्थान, जो केन्द्र अथवा किसी राज्य के अधिनियम अंतर्गत पंजीकृत हो, को जो झारखण्ड राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित Indicative Parameters में असाधारण योगदान दिये जाने हेतु प्रदान किया जायेगा–

- Parameter 1: Design and deployment of education technology, new curriculum, courses (including online) and labs.
- Parameter 2: Educating and training teachers—scale and quality.
- Parameter 3: Improving access to education for under privileged students.
- Parameter 4: Pathbreaking Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives.
- Parameter 5: Facilitating Entrepreneurship and Providing Incubators for Startups.
- Parameter 6: Innovative Methodologies to evaluate Learning Outcomes.
- Parameter 7: Assistance in development of education policies and identification of key gap areas.
- Parameter 8: Management of Educational Institutes.
- Parameter 9: Improving access to education for children from districts suffering from leftwing extremism.
- Parameter 10: Student Placement
- Any other Parameter jointly decided by Partner Organization and Jharkhand State Higher Education Council

2.3.2 इस पुरस्कार हेतु उपर्युक्त Themes मात्र Indicative हैं तथा भागीदार संस्थान (Partner Institution) के द्वारा अंतिम रूपेण Themes का निर्धारण झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् से अनुमोदन प्राप्त करते हुए किया जायेगा। इस पुरस्कार हेतु चयन में संस्थान के Incremental progress पर Focus किया जाएगा। इस पुरस्कार हेतु भागीदार संस्थान (Partner Institution) National Law School of India University, Bengaluru होगा।

2.3.3 Partner Institution के खोज समिति के द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान निर्धारित करते हुए अधिकतम 03 आवेदकों का चयन पुरस्कार हेतु किया जायेगा, जिस पर झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् से अनुमोदन प्राप्त करते हुए पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

2.3.4 प्रत्येक तीन वर्षों में किसी संस्थान को एक बार ही यह पुरस्कार दिया जा सकेगा।

2.3.5 पुरस्कार राशि–

प्रथम स्थान (स्वर्ण पदक) – रुपये 5,00,000/–
द्वितीय स्थान (रजत पदक) – रुपये 4,00,000/–
तृतीय स्थान (काँस्य पदक) – रुपये 3,00,000/–
इसके अतिरिक्त सभी पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण पत्र तथा स्मारिका (Souvenir) प्रदान किया जायेगा।

2.4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के सफल कार्यान्वयन में उत्कृष्ट व्यक्तिगत योगदान हेतु पुरस्कार (Award for Excellent Individual Contribution in Implementation of National Education Policy, 2020)

2.4.1 यह पुरस्कार राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के सफल जमीनी कार्यान्वयन में व्यक्तिगत योगदान हेतु शिक्षकों या शिक्षा से जुड़े प्रशासकों/अधिकारियों/कर्मियों को प्रदान किया जायेगा–

2.4.2 अर्हता–

(i) झारखण्ड राज्य में अवस्थित निम्न प्रकार के संस्थान में कार्यरत शिक्षक/पदाधिकारी/प्रशासक/कर्मी अथवा आवेदन की अंतिम तिथि से अधिकतम एक वर्ष पूर्व तक कार्यरत रहे शिक्षक/पदाधिकारी/प्रशासक/कर्मी –

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् या अन्य संबंधित प्राधिकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा पोलिटेकनिक संस्थान
- केन्द्र अथवा झारखण्ड राज्य सरकार के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित उच्च शैक्षणिक संस्थान

अथवा

झारखण्ड राज्य सरकार के किसी विभाग में पदाधिकारी/प्रशासक/कर्मी के रूप में कार्यरत अथवा आवेदन की अंतिम तिथि से अधिकतम एक वर्ष पूर्व तक कार्यरत पदाधिकारी/प्रशासक/कर्मी।

(ii) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के सफल कार्यान्वयन के लिए निम्न Themes में उत्कृष्ट व्यक्तिगत योगदान का प्रदर्शन करने वाले आवेदकों को यह पुरस्कार दिया जाएगा–

- Digital Learning/E- Governance
- Learner Centric Education
- Industry-Institute collaboration
- Indian Knowledge System
- Academic research and internationalization
- Student Welfare and Student Support Programs

(iii) किसी भी शिक्षक/पदाधिकारी/कर्मी/प्रशासक को यह पुरस्कार प्रत्येक तीन वर्ष में मात्र एक बार दिया जा सकेगा।

2.4.3 इस पुरस्कार हेतु उपर्युक्त Themes मात्र Indicative हैं तथा भागीदार संस्थान (Partner Institution) के द्वारा अंतिम रूपेण Themes का निर्धारण झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् से अनुमोदन प्राप्त करते हुए किया जायेगा। इस पुरस्कार हेतु भागीदार संस्थान (Partner Institution) Centre for Policy Research in Higher Education (CPRHE), National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA) होगा।

2.4.4 सभी अर्हता प्राप्त आवेदकों के द्वारा आवेदन समर्पित किया जाएगा जिसमें वे अपने द्वारा किये गये कार्य की विवरणी समर्पित करेंगे। Partner Institution के खोज समिति के द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत 03 आवेदकों का प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान एवं तृतीय स्थान निर्धारित करते हुए पुरस्कार हेतु चयन किया जायेगा।

2.4.5 पुरस्कार राशि–

प्रथम स्थान (स्वर्ण पदक) – रुपये 2,00,000/–
द्वितीय स्थान (रजत पदक) – रुपये 1,50,000/–
तृतीय स्थान (काँस्य पदक) – रुपये 1,00,000/–

इसके अतिरिक्त सभी पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण पत्र तथा स्मारिका (Souvenir) प्रदान किया जायेगा।

2.5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के सफल कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य हेतु उच्च शिक्षण संस्थान को पुरस्कार (Award to Higher Education Institution for Excellent Contribution in Implementation of National Education Policy, 2020)

2.5.1 यह पुरस्कार राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के सफल जमीनी कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य हेतु उच्च शिक्षण संस्थान को प्रदान किया जायेगा–

2.5.2 अर्हता–

(i) झारखण्ड राज्य में अवस्थित किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा पोलिटेकनिक संस्थान जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् या अन्य संबंधित प्राधिकार से मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा झारखण्ड राज्य में अवस्थित राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के अधिनियम द्वारा स्थापित उच्च शिक्षण संस्थान, को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के सफल कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रदान किया जायेगा।

(ii) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के सफल जमीनी कार्यान्वयन के लिए निम्न Themes में उत्कृष्ट योगदान का प्रदर्शन करने वाले आवेदकों को यह पुरस्कार दिया जाएगा–

- Digital Learning/E- Governance
- Learner Centric Education
- Industry-Institute collaboration
- Indian Knowledge System
- Academic research and internationalization
- Student Welfare and Student Support Programs

2.5.3 इस पुरस्कार हेतु उपर्युक्त Themes मात्र Indicative हैं तथा भागीदार संस्थान (Partner Institution) के द्वारा अंतिम रूपेण Themes का निर्धारण झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् से अनुमोदन प्राप्त करते हुए किया जायेगा। इस पुरस्कार हेतु चयन में संस्थान के Incremental progress पर Focus किया जाएगा। इस पुरस्कार हेतु भागीदार संस्थान (Partner Institution) Centre for Policy Research in Higher Education (CPRHE), National Institute of Education Planning and Administration (NIEPA) होगा।

2.5.4 सभी अर्हता प्राप्त आवेदक शिक्षण संस्थानों के द्वारा आवेदन समर्पित किया जाएगा जिसमें वे अपने द्वारा किये गये कार्य की विवरणी समर्पित करेंगे। Partner Institution के खोज समिति के द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान निर्धारित करते हुए अधिकतम 03 शिक्षण संस्थानों का चयन पुरस्कार हेतु किया जायेगा, जिस पर झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् से अनुमोदन प्राप्त करते हुए पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

2.5.5 पुरस्कार राशि–

प्रथम स्थान (स्वर्ण पदक) – रुपये 5,00,000/–

द्वितीय स्थान (रजत पदक) – रुपये 4,00,000/–

तृतीय स्थान (काँस्य पदक) – रुपये 3,00,000/–

इसके अतिरिक्त सभी पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण पत्र तथा स्मारिका (Souvenir) प्रदान किया जायेगा।

2.6 राज्य नवाचार पुरस्कार–संस्थान (State Innovation Award for Institution)

2.6.1 राज्य में नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य नवाचार पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

2.6.2 अर्हता–

(i) झारखण्ड राज्य में अवस्थित तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् या अन्य संबंधित प्राधिकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा पोलिटेकनिक संस्थान अथवा झारखण्ड राज्य में अवस्थित राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के अधिनियम द्वारा स्थापित उच्च शिक्षण संस्थान

अथवा

झारखण्ड राज्य में अवस्थित राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के अधिनियम अन्तर्गत पंजीकृत संस्थान।

(ii) यह पुरस्कार अद्वितीय/अनोखा कार्य या विचार (For Unique Idea or Work) के लिए प्रदान किया जाएगा। आवेदकों का चयन अद्वितीय/अनोखा कार्य या विचार की सामाजिक उपयोगिता, पर्यावरण हेतु उपयोगिता, User friendliness तथा अन्य पूर्व से विद्यमान तकनीक से बेहतर होने आदि मापदंडों पर आधारित होगा।

(iii) यह पुरस्कार मात्र ऐसे अद्वितीय/अनोखा कार्य या विचार के लिए देय होगा जो जिनका डेटा के आधार पर यह सत्यापित हो सके कि उक्त

कार्य से संबंधित क्षेत्र के सेवा वितरण (Service Delivery) में सुधार या लागत कम हुई हो अथवा शासन तंत्र में विशेष सुधार हुआ हो।

(iv) किसी भी संस्थान को यह पुरस्कार तीन वर्ष में मात्र एक बार दिया जा सकेगा।

2.6.3 इस पुरस्कार हेतु भागीदार संस्थान (Partner Institution) के द्वारा प्रतिवर्ष Themes का निर्धारण झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् से अनुमोदन प्राप्त करते हुए किया जायेगा। इस पुरस्कार हेतु चयन में संस्थान के incremental progress पर Focus किया जाएगा। इस पुरस्कार हेतु भागीदार संस्थान (Partner Institution) National Innovation Foundation (NIF) होगा।

2.6.4 सभी अर्हता प्राप्त आवेदक शिक्षण संस्थानों के द्वारा आवेदन समर्पित किया जाएगा जिसमें वे अपने द्वारा किये गये कार्य की विवरणी समर्पित करेंगे। Partner Institution के खोज समिति के द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान निर्धारित करते हुए अधिकतम 03 संस्थानों का चयन पुरस्कार हेतु किया जायेगा, जिस पर झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् से अनुमोदन प्राप्त करते हुए पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

2.6.5 पुरस्कार राशि–

प्रथम स्थान (स्वर्ण पदक) – रुपये 5,00,000/–

द्वितीय स्थान (रजत पदक) – रुपये 4,00,000/–

तृतीय स्थान (काँस्य पदक) – रुपये 3,00,000/–

इसके अतिरिक्त पुरस्कार विजेता को प्रमाण पत्र तथा स्मारिका (Souvenir) प्रदान किया जायेगा।

2.7 राज्य नवाचार पुरस्कार–व्यक्तिगत (State Innovation Award for Individuals)

2.7.1 राज्य में उद्यमी एवं उन्नत व्यक्तियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य नवाचार पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

2.7.2 अर्हता–

(i) झारखण्ड राज्य में अवस्थित किसी शैक्षणिक संस्थान में वर्तमान में अध्ययनरत अथवा आवेदन की अंतिम तिथि से अधिकतम एक वर्ष पूर्व तक अध्ययनरत विद्यार्थी

अथवा

झारखण्ड राज्य का कोई निवासी।

(ii) यह पुरस्कार अद्वितीय/अनोखा कार्य या विचार (For Unique Idea or Work) के लिए प्रदान किया जाएगा। आवेदकों का चयन अद्वितीय/ अनोखा कार्य या विचार की सामाजिक उपयोगिता, पर्यावरण हेतु उपयोगिता, user friendliness तथा अन्य पूर्व से विद्यमान तकनीक से बेहतर होने आदि मापदंडों पर आधारित होगा।

(iii) यह पुरस्कार मात्र ऐसे अद्वितीय/अनोखा कार्य या विचार के लिए देय होगा जो जिनका डेटा के आधार पर यह सत्यापित हो सके कि उक्त

कार्य से संबंधित क्षेत्र के सेवा वितरण (Service Delivery) में सुधार या लागत कम हुई हो अथवा शासन तंत्र में विशेष सुधार हुआ हो।

(iv) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के INSPIRE awards-MANAK Scheme अंतर्गत पुरस्कृत नहीं हो।

2.7.3 इस पुरस्कार हेतु भागीदार संस्थान (Partner Institution) के द्वारा प्रतिवर्ष Themes का निर्धारण झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् से अनुमोदन प्राप्त करते हुए किया जायेगा। इस पुरस्कार हेतु भागीदार संस्थान (Partner Institution) National Innovation Foundation (NIF) होगा।

2.7.4 सभी अर्हता प्राप्त आवेदक विद्यार्थियों के द्वारा आवेदन समर्पित किया जाएगा जिसमें वे अपने द्वारा किये गये कार्य की विवरणी समर्पित करेंगे। Partner Institution के खोज समिति के द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान निर्धारित करते हुए अधिकतम 03 व्यक्तियों का चयन पुरस्कार हेतु किया जायेगा, जिस पर झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् से अनुमोदन प्राप्त करते हुए पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

2.7.5 पुरस्कार राशि–

प्रथम स्थान (स्वर्ण पदक) – रुपये 2,00,000/–
द्वितीय स्थान (रजत पदक) – रुपये 1,50,000/–
तृतीय स्थान (काँस्य पदक) – रुपये 1,00,000/–

इसके अतिरिक्त सभी पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण पत्र तथा स्मारिका (Souvenir) प्रदान किया जायेगा।

2.8 पर्यावरणीय, सामाजिक तथा शासन–विधि में उत्कृष्टता हेतु उच्च शिक्षण संस्थानों को पुरस्कार (Award to Higher Education Institution for excellence in Environmental, Social and Governance)

2.8.1 यह पुरस्कार उच्च शिक्षण संस्थानों को पर्यावरणीय, सामाजिक तथा शासन–विधि में उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए प्रदान किया जायेगा।

2.8.2 अर्हता–

(i) झारखण्ड राज्य में अवस्थित किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा पोलिटेकनिक संस्थान जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् या अन्य संबंधित प्राधिकार से मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा झारखण्ड राज्य में अवस्थित राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के अधिनियम द्वारा स्थापित उच्च शिक्षण संस्थान।

(ii) पर्यावरणीय, सामाजिक तथा शासन–विधि के क्षेत्र में निम्न Parameters में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उच्च शिक्षण संस्थान को यह पुरस्कार दिया जाएगा–

- Improve gender inequality in its institution
- Making its institution inclusive to students and faculty from diverse backgrounds
- Has taken proactive measure to educate students and faculty members

- Initiatives to solve local problems of the society
- Make its institution more environmentally friendly
- Inclusion of Environmental, Social and Governance (ESG) as a part of its curriculum
- Initiatives to improve transparency and governance of its institutions
- Ensuring Safe Campuses for all students and faculty members
- Promotion of research in various domains of ESG
- Any other theme as decided by the partner institution

(iii) किसी भी संस्थान को यह पुरस्कार प्रत्येक तीन वर्ष में मात्र एक बार दिया जा सकेगा।

2.8.3 इस पुरस्कार हेतु उपर्युक्त Parameters मात्र Indicative हैं तथा भागीदार संस्थान (Partner Institution) के द्वारा अंतिम रूपेण Parameters का निर्धारण झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् से अनुमोदन प्राप्त करते हुए किया जायेगा। इस पुरस्कार हेतु चयन में संस्थान के incremental progress पर Focus किया जाएगा। इस पुरस्कार हेतु भागीदार संस्थान (Partner Institution) Tata Institue of Social Sciences (TISS), Guwahati Campus होगा।

2.8.4 सभी अर्हता प्राप्त आवेदक शिक्षण संस्थानों के द्वारा आवेदन समर्पित किया जाएगा जिसमें वे अपने द्वारा किये गये कार्य की विवरणी समर्पित करेंगे। Partner Institution के खोज समिति के द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान निर्धारित करते हुए 03 शिक्षण संस्थानों का चयन पुरस्कार हेतु किया जायेगा, जिस पर झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् से अनुमोदन प्राप्त करते हुए पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

2.8.5 पुरस्कार राशि–

प्रथम स्थान (स्वर्ण पदक) – रुपये 5,00,000/–

द्वितीय स्थान (रजत पदक) – रुपये 4,00,000/–

तृतीय स्थान (काँस्य पदक) – रुपये 3,00,000/–

इसके अतिरिक्त प्रमाण पत्र तथा स्मारिका (Souvenir) प्रदान किया जायेगा।

2.9) उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार (Chief Minister's Award for lifetime contribution in the field of Higher Education)

2.9.1 यह पुरस्कार झारखण्ड राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए प्रदान किया जायेगा–

2.9.2 अर्हता–

(i) यह पुरस्कार किसी व्यक्ति अथवा समूह (Group of Individuals) को झारखण्ड राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए प्रदान किया जायेगा।

(ii) उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण कार्य, शोध कार्य, उच्च शिक्षा नीति, शासन–विधि, नवाचार आदि में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अथवा समूह, जिनके द्वारा झारखण्ड राज्य में उच्च शिक्षण को बढ़ावा देने के

लिए विशेष योगदान प्रदर्शित किया गया हो, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा।

(iii) झारखण्ड राज्य में उच्च शिक्षण के क्षेत्र में न्यूनतम 20 वर्षों का अनुभव।

(iv) इस पुरस्कार से पूर्व से पुरस्कृत नहीं रहा हो, अर्थात किसी भी व्यक्ति अथवा समूह (Group of Individuals) को यह पुरस्कार मात्र एक बार दिया जा सकेगा।

(v) इस पुरस्कार से पूर्व से पुरस्कृत नहीं रहा हो, अर्थात किसी भी व्यक्ति अथवा समूह को यह पुरस्कार मात्र एक बार दिया जा सकेगा।

2.9.3 इस पुरस्कार हेतु भागीदार संस्थान (Partner Institution) के द्वारा आवेदन हेतु Themes का निर्धारण झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् से अनुमोदन प्राप्त करते हुए किया जायेगा। इस पुरस्कार हेतु भागीदार संस्थान (Partner Institution) National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA) होगा।

2.9.4 सभी अर्हता प्राप्त आवेदकों के द्वारा आवेदन समर्पित किया जाएगा जिसमें वे अपने द्वारा किये गये कार्य की विवरणी समर्पित करेंगे। Partner Institution के खोज समिति के द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत 01 व्यक्ति/समूह का चयन पुरस्कार हेतु किया जायेगा, जिस पर झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् से अनुमोदन प्राप्त करते हुए पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

2.9.5 पुरस्कार हेतु चयनित व्यक्ति/समूह का अनुमोदन माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड से प्राप्त करने के उपरांत पुरस्कार दिया जाएगा।

2.9.6 पुरस्कार राशि–

पुरस्कृत व्यक्ति/समूह को रुपये 8,00,000/– की राशि प्रदान की जाएगी। यदि पुरस्कार हेतु किसी समूह (Group of Individuals) का चयन किया जाता है, तो पुरस्कार राशि उक्त समूह के सभी सदस्यों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त पुरस्कृत व्यक्ति/समूह को प्रमाण पत्र तथा स्मारिका (Souvenir) प्रदान किया जायेगा।

3. कंडिका–2 में उल्लेखित Partner Organizations के द्वारा झारखण्ड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना अन्तर्गत भागीदार संस्थान बनने हेतु सहमति जतायी गई है। यदि किसी Partner Organizations के द्वारा इस योजना अन्तर्गत चयन कार्य करने में असहमति प्रकट की जाती है अथवा झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के द्वारा भविष्य में चयन कार्य हेतु अन्य किसी संस्थान को इस कार्य हेतु बेहतर माना जाता है, तो झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अन्य किसी राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात संस्थान को Partner Organization बनाने हेतु प्राधिकृत होगा। जनजातीय भाषाओं में शोध सम्मान को छोड़ कर, अन्य सभी कोटि के पुरस्कारों के लिए चयनित Partner Organization का झारखण्ड राज्य के बाहर का संस्थान होना अनिवार्य होगा।

4. झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के द्वारा इस योजना के शर्तों के अधीन सभी Partner Organizations के साथ तथा आपसी सहमति से Memorandum of Understanding

(MoU) हस्ताक्षरित किया जाएगा। MoU हस्ताक्षरित करने के पूर्व उक्त MoU प्रारूप पर विधि विभाग की विधिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

5. पुरस्कार के लिए अभ्यर्थियों को Online Portal के माध्यम से आवेदन समर्पित करना होगा। उक्त पोर्टल के माध्यम से ही चयन कार्य किया जाएगा। आवश्यकतानुसार चयन हेतु साक्षात्कार का आयोजन ऑनलाईन या ऑफलाईन मोड में किया जाएगा।

6. चयन प्रक्रिया –

सभी पुरस्कारों हेतु चयन भागीदार संस्थान (Partner Institution) के द्वारा एक खोज समिति गठित करते हुए तथा पूर्व से निर्धारित प्रक्रिया के अधीन किया जायेगा। भागीदार संस्थान (Partner Institution) के द्वारा विस्तृत चयन प्रक्रिया का निर्धारण झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के साथ परामर्श करते हुए निर्धारित किया जायेगा। Partner Organization द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया एवं Marking Scheme का अनुमोदन झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के द्वारा प्रदान किया जायेगा। झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के द्वारा आवेदन आमंत्रित करने के पूर्व चयन प्रक्रिया अंतिम रूपेण निर्धारित करते हुए आवेदन हेतु Online Portal पर प्रकाशित किया जायेगा, ताकि सभी आवेदकों को विस्तृत चयन प्रक्रिया की जानकारी आवेदन के पूर्व से हो।

7. पुरस्कार हेतु Online Portal का निर्माण किया जायेगा।

8. झारखण्ड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना के क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण के लिए आवश्यकतानुसार PMU की सेवा प्राप्त की जायेगी।

9. यदि भागीदार संस्थान (Partner Organization) के द्वारा किसी पुरस्कार कोटि में उपयुक्त आवेदक नहीं मिलने के कारण किसी वर्ष में संबंधित पुरस्कार कोटि को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है, तो झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के द्वारा संबंधित पुरस्कार कोटि को उक्त वर्ष के लिए रद्द कर दिया जाएगा।

10. झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के द्वारा पुरस्कार के लिए आवेदन की तिथि, चयन की समय सीमा आदि निर्धारित किया जाएगा।

11. पुरस्कार विजेताओं को चेक अथवा अन्य माध्यम से पुरस्कार की राशि प्रदान की जाएगी। पुरस्कार वितरण हेतु प्रतिवर्ष एक समारोह का आयोजन किया जाएगा।

12. भागीदार संस्थानों (Partner Organizations) को योजना अन्तर्गत चयन संबंधी कार्य करने हेतु प्रतिवर्ष प्रति पुरस्कार कोटि रुपये 2,00,000/– से 5,00,000/– Honorarium राशि प्रदान की जाएगी। संबंधित पुरस्कार कोटि में आवेदकों की अधिकतम संख्या 100 तक होने पर Honorarium की राशि रुपये 2,00,000/– होगी। आवेदकों की संख्या 100 से अधिक होने पर यह राशि प्रति आवेदक रुपये 2000/– के दर से देय होगी, किन्तु Honorarium की अधिकतम सीमा रुपये 5,00,000/– होगी। आवश्यकतानुसार झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की अनुशंसा पर Honorarium राशि की अधिकतम सीमा (रुपये 5,00,000/–) में बढ़ोत्तरी करने के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड के विभागीय मंत्री प्राधिकृत होंगे।

13. इस योजना के सफल संचालन हेतु सभी प्रकार के निर्णय एवं दिशा–निर्देश, Standard Operating Procedure (SOP) जारी करने हेतु झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् प्राधिकृत होगी।

14. इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रचार–प्रसार किया जायेगा। इस योजना के संबंध में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं एवं शिक्षकों

को अवगत कराया जायेगा तथा योजना अंतर्गत आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

15. योजना के क्रियान्वयन के लिए झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् को वांछित राशि उपलब्ध करायी जायेगी। वार्षिक अनुमानित व्यय राशि की विवरणी निम्नवत् है–

क्र.सं.	अनुमानित व्यय शीर्ष	राशि
1.	पुरस्कार राशि, प्रमाण पत्र तथा स्मारिका (Souvenir)	120 लाख
2.	Partner Organization को Honorarium राशि (कर सहित)	120 लाख
3.	पुरस्कार वितरण समारोह	50 लाख
4.	Partner Organization के लिए आवश्यकतानुसार यात्रा, वाहन, ठहरने–खाने आदि की व्यवस्था	25 लाख
5.	Portal Development, Maintenance and Monitoring Cost	40 लाख
6.	विविध व्यय	5 लाख
	कुल वार्षिक अनुमानित व्यय	**360 लाख**

16. उक्त योजना हेतु अनुमानित राशि रूपये 3.60 करोड़ प्रतिवर्ष का विकलन राज्य स्कीम बजट अंतर्गत निम्नांकित शीर्ष से किया जायेगा–

मांग संख्या–21–

मुख्यशीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष 102/796–विश्वविद्यालयों को सहायता/जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष–BU–झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् हेतु सहायता अनुदान।

17. वर्ष 2024–25 से Jharkhand Higher Education Awards Scheme (झारखण्ड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना) लागू किया जाएगा।

18. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–29.01.2025 में मद संख्या–05 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेश:–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

19.2.25

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–त0शि0प्र0/योजना–01/2023– 355 /राँची, दिनांक– 22/02/2025

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

19.2.25

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–त0शि0प्र0/योजना–01/2023– 355 /राँची, दिनांक– 22/02/2025

प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.2.25

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–त०शि०प्र० / योजना–01 / 2023– 355 / राँची, दिनांक– 22/02/2025

प्रतिलिपि–झारखण्ड राज्य के माननीय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / मुख्य सचिव, झारखण्ड के विशेष कार्य पदाधिकारी / सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सभी विभाग, झारखण्ड, विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक, उच्च शिक्षा / निदेशक, तकनीकी शिक्षा / कुलसचिव, सभी राजकीय, तकनीकी एवं निजी विश्वविद्यालय, झारखण्ड / प्रशासनिक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् / सभी सम्बंधित Partner Organization / बजट शाखा, उच्च शिक्षा / विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई–गजट को ई–गजट में प्रकाशनार्थ / श्री कुमार चन्दन, MIS पदाधिकारी, तकनीकी सहायता समूह को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.2.25

सरकार के प्रधान सचिव।